न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **हीरा बनाम दिनेश वगैरा** **किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण** **प्रकरण संख्या – 14/2018**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
29.06.2018	अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं. 01 लगा0 04 बावजूद तामील उपस्थित नही हुए। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया की एक दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा उनवानी हीरा बनाम दिनेश वगैरा एंव प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी हीरा बनाम दिनेश वगैरा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय में विचाराधीन है। अप्रार्थी सं. 01 व 02 राजनैतिक पहुच वाल व्यक्ति है जो उपखण्ड अधिकारी सिकराय से मिलकर अपने पक्ष में निर्णय करवाने पर उतारू है। उपखण्ड अधिकारी सिकराय सभी प्रकरणों में कम से कम दो–तीन महीने की पेशीया देते है परन्तु इस प्रकरण में नजदीक–नजदीक तारीख पेशीया दी जा रही है। जिससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी सं. 01 व 02 उपखण्ड अधिकारी से मिलकर शीघ्र ही अपने पक्ष में फैसला करवाने पर आमादा है। अतः प्रार्थी को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय से न्याय की उम्मीद नही है। अतः उक्त प्रकरण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय से अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने के आदेश फरमावे। हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली तथा उपखण्ड अधिकारी सिकराय से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया। अप्रार्थी सं. 01 लगा0 04 मे सें बावजूद तामील पैरवी हेतु कोई उपस्थित नही हुआ। तत्पश्चात प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है। अतः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय में विचाराधीन दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा उनवानी हीरा बनाम दिनेश वगैरा प्रकरण सं. 122/2017 एवं प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी हीरा बनाम दिनेश वगैरा प्रकरण सं. 74/2017 को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाता है। साथ ही उपखण्ड अधिकारी सिकराय को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरणो से सम्बन्धित मूल पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु शीघ्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट में भिजवावे। आदेश की पालना हेतु उपखण्ड अधिकारी सिकराय एंव लालसोट को निर्णय की प्रति भिजवाते हुए तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 29.06.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। अति0 जिला कलक्टर दौसा	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official